



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, रायपुर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-770/2216

रायपुर, दिनांक 06/09/2021

प्रति,

प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर
नवा रायपुर

विषय: - Diversion of 0.117 ha. Forest land in favour of Singhal Energy Pvt. Ltd. For Laying Pipeline from Gerwani Nala to Plant for Water Supply in Raigarh District in the State of Chhattisgarh- regarding
(पंजीयन क्र. FP/CG/PIPELINE/37602/2018)

संदर्भ: 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर का पत्र क्रमांक FC-I/ROCH-06/2021 - NGP / 27 दिनांक 30.07.2021
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक / 2474 दिनांक 28.08.2021

-0-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भ पत्र -1 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा 5 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

संदर्भ पत्र-2 के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा बिन्दुवार जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित किया गया जो निम्नानुसार है:-

क्र.	चाही गयी जानकारी	विवरण																
I	Examination of proposed alignment over google satellite imaginary revealed that instant pipeline is proposed adjacent to existing road.State Government need to submit specific comments on why the proposed pipeline cannot be laid down within the existing Row of road or next to it.	प्रस्तावित पाईप लाईन के समीप स्थित रोड स्टेट हाइवे रायगढ से अंबिकापुर के चौडीकरण करने का कार्य राज्य शासन द्वारा प्रस्तावित है। जिसके कारण सड़क के किनारे पाइप लाईन बनाने से बाद में क्षतिग्रस्त होने की आशंका है, क्योंकि इसमें कितनी जमीन रोड के चौडीकरण के लिए चाहिए, स्पष्ट नहीं है। अतः प्रस्तावित पाईप लाईन जहां कम पेड़ तथा खाली जगह ज्यादा है, से रोड के साथ ही पाईप लाईन कार्य प्रस्तावित है।																
II	Details of alternative examined before finalization of proposed alignment along with comparative statement of all ecological parameters dully considered need to be submitted.	वैकल्पिक रुट की जानकारी निम्नानुसार है:- <table><tr><th>S.No</th><th>Root</th><th>Area in KM</th><th>Effected Forest land in Ha.</th></tr><tr><td>01</td><td>Proposed Root</td><td>2.60 km</td><td>0.117 ha.</td></tr><tr><td>02</td><td>Alternative Way-I</td><td>2.66 km</td><td>0.370 ha.</td></tr><tr><td>03</td><td>Alternative Way-II</td><td>5.09 km</td><td>0.232 ha.</td></tr></table> प्रस्तावित पाइप लाइन का एलाइनमेंट फाइनल करने से पहले	S.No	Root	Area in KM	Effected Forest land in Ha.	01	Proposed Root	2.60 km	0.117 ha.	02	Alternative Way-I	2.66 km	0.370 ha.	03	Alternative Way-II	5.09 km	0.232 ha.
S.No	Root	Area in KM	Effected Forest land in Ha.															
01	Proposed Root	2.60 km	0.117 ha.															
02	Alternative Way-I	2.66 km	0.370 ha.															
03	Alternative Way-II	5.09 km	0.232 ha.															

		रूट 01 जिसमें 0.117 हे0 वन भूमि प्रभावित हो रही है। परिस्थितिकी पैरामीटर्स का भलिभांति परीक्षण किया गया है। अतः प्रस्तावित रूट परिस्थितिकी पैरामीटर्स में सबसे उपयुक्त पाया गया है। ANNEXURE-I
III	Part-1, of form-A has been submitted without mentioning the date of submission. Also, Part-II submitted without mentioning the name of the signing authority.	पार्ट-1, फार्म-ए तथा पार्ट-2 में प्राधिकृति अधिकारी का नाम एवं दिनांक अंकित कर संलग्न प्रेषित है। ANNEXURE-II
IV	Examination of compliance of scheduled tribe and other traditional forest dwellers (Recognition of forest rights) Act. 2006 revealed that the proceedings of sub division level committee have not submitted same need to be submitted.	व्यपवर्तन प्रकरण में कलेक्टर रायगढ़ का वन अधिकार वितरण प्रमाण-पत्र, राजस्व वनभूमि के लिए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा प्रस्ताव में अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति का कार्यवाही विवरण संलग्न है। ANNEXURE-III
V	Details of employment potential in terms of man days of skilled, semiskilled and unskilled persons on permanent (direct and indirect) and temporary (direct and indirect) basis have not been provide.	इस परियोजना में कुल 20 मजदूरों को नौकरी मिलने की सम्भावना है। सभी 20 मजदूर अस्थायी होंगे जिसमें 05 कुशल, 05 अर्द्धकुशल एवं 10 अकुशल श्रमिक होंगे।

उपरोक्तानुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त से प्राप्त जानकारी अनुशंसा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु
संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार 2 प्रतियों में

(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/व. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-770/2217
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

रायपुर, दिनांक 06/09/2021

1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ वन मंडल, रायगढ़।
3. प्रबंधक सिंगल इंटरप्राइजेस प्रा. लि. ग्राम तराईमाल पोस्ट गेरवानी, जिला रायगढ़।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/व. स. अ)
01/ छत्तीसगढ़